



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1126]
No. 1126]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 2005/आश्विन 29, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2005/ASVINA 29, 1927

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2005

का.आ. 1520(अ).— जबकि कृषि क्षेत्र में नियोजन में देय प्रति कर्मचारी मजदूरी की प्रति दिन न्यूनतम दरों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 या 11) की धारा 5 की उप धारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 850 (अ) दिनांक 16 जून, 2005 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 16 जून, 2005 को उन सभी लोगों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ तथा उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध करवाये जाने की तारीख से दो माह की अवधि के समाप्त होने तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 16 जून, 2005 को उपलब्ध करवा दी गई थी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 1 के खण्ड (iii) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि क्षेत्र में नियोजित लोगों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन से संबंधित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1085 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार उक्त धारा 5 के

परन्तुक के अंतर्गत अपेक्षा अनुरूप कृषि क्षेत्र में नियोजन में कालम (1) में उनके सामने उल्लिखित कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए देय, संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथाउल्लिखित, प्रति कर्मचारी के लिए प्रतिदिन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करती है।

मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों में निम्नलिखित शामिल होगा :-

(क) इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के भाग-I के स्तंभ (2) से (4) में दी गई और उसी स्तंभ (1) में यथा निर्दिष्ट कृषि में रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को श्रेणियों को देय मजदूरी की मूल दरें, और

(ख) कर्मचारों को अलग-अलग श्रेणियों के लिए, उक्त अनुसूची के भाग-II में स्तंभ (2) से (4) में दी गई दरों पर एक विशेष भत्ता (जिसे इसके बाद परिवर्तीय मंहगाई भत्ता कहा गया है)। परिवर्तीय मंहगाई भत्ते को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 30 जू और 31 दिसम्बर को समाप्त हों वाली छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कृषि कर्मचारों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) के आधार पर 01 अक्तूबर और 01 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक छह माह के अंतराल में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची
भाग-I

कर्मचारियों की श्रेणियां	सभी सम्मिलित मजदूरी की न्यूनतम दरें (रुपये प्रतिदिन में) (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 522 (औद्योगिक कामगार पर सारणीबद्ध जो कि 31 दिसम्बर, 2004 तक छमाही औसत है।)		
	क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल	रुपये	रुपये	रुपये
बेलदार, कॉफ बाय, केटल मैन, चौकीदार, क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, कैटल यार्ड, एम.टी.) खुले चारे को एकत्र करना, डेरी कुली, डेरी मैन, डिसमेन्टलिंग स्टॉक, नाई, ड्राइवर (बैलगाड़ी, खच्चर) चरवाहा, हेल्पर (भण्डार-मजदूर), मजदूर (बॉयलर, कैटल यार्ड, कृषि सामान्य माल उतारना तथा चढ़ाना, बंडल बनाना, उर्वरक-ठेला गाड़ी चलाना, फसल कटाई,	114.00	104.00	102.00

विविध बीज डालना, प्रतिरोपण कार्य, निराई करना, माली मजदूर (आरपोर्टकल्चरिस्ट), कम्पोस्ट, डेरी की सूखी घास उठाना, सिंचाई, गोबर, गठ्ठर बनाना, दूध वाला कमरा, राशन भण्डार कक्ष, मलेरिया उन्मूलन, एम.आर. मैसेन्जर (कार्यालय), चपरासी, साईस, टांगिंग तथा गांठों को उठाना, सफाई कर्मचारी, गांठे तोलना व ले जाना, वजन तोलने वाला (गांठें, पाल्ली), पानी वाला, अस्तबल वाला, ट्राली वाला, अकुशल कार्य करने वाले की कोई भी अन्य श्रेणी चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो ।			
अर्ध कुशल/अकुशल/पर्यवेक्षक			
सहायक (चौधरी) परिचर, (बुल कालविंग लाइन्स, भूसी-चोकर काटने वाला, होस्टल ड्राई स्टॉक, अनाज क्रशर, पम्प, सड़क लाइन, अस्तबल यार्ड स्टॉक) सहायक नलसाज, परिचर, भिश्ती, ब्रान्डर, बुलमैन, मक्खन वाला, गाड़ीवान, मोची, हल चलाने वाला, दफ्तरी, हरकारा, धोबी, नाई, फायरमैन, ग्वाला, हैयर मैन, हैल्पर (लुहार), हैल्पर, जमादार (स्टैंड) जमादार, खलासी, माली, वरिष्ठ मेट, मिस्त्री, मजदूर (साक्षर), नालबंद, आयल मैन, हलचालक, टाल बनाने वाला, पर्यवेक्षक, छप्पर बनाने वाला, वाल्वमैन, वाल्व मैन (वरिष्ठ), टिन केबल फिट करने वाले वायर मैन, अर्धकुशल प्रकृति के रूप में किसी अन्य नाम से जानी जाने वाली अन्य श्रेणियां ।	125.00	116.00	107.00
कुशल			
आट्रिफिशियर (वर्ग-II III IV) लुहार, लुहार (वर्ग-II) बायलर मैन, बढई, बढई (वर्ग-II),	137.00	125.00	115.00

बढ़ई-सह-बढ़ईलुहार, चौधरी, चालक, चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी. मोटर), इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैसन, मैसन (वर्ग-II), मशीन हैंड (वर्ग-II III, IV) मशीन मैन, मेट ग्रेड-I (वरिष्ठ), मैकेनिक, मिल्क राइटर, मिस्त्री (प्रमुख), मोल्डर, मस्टर राइटर, आपरेटर (टयूबवेल), पेन्टर, प्लंबर, वैल्डर, अपहोल्स्टरर, वायरमैन, कुशल प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो ।			
उच्च कुशल			
आर्टिफिशियर वर्ग I, लुहार वर्ग I, बढ़ई वर्ग- I, मशीन हैंड वर्ग-I, मैसन वर्ग-I मैकेनिक (वरिष्ठ), उच्चकुशल प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम के क्यों न जाना जाता हो ।	153.00	141.00	125.00
लिपिकीय			
सहायक (फार्म), सहायक (कैशियर), लिपिक, मुंशी, रजिस्टर कीपर, स्टोर कीपर, टाइमकीपर, टंकक, लिपिकीय प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो ।	137.00	125.00	115.00

भाग-II

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) (1982=100) में 522 से आगे प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की दरें जो दिसम्बर, 2004 तक छमाही औसत के आधार पर हैं ।

कर्मचारियों की श्रेणी	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1	2	3	4
अकुशल	22 पैसे	20 पैसे	20 पैसे
अर्धकुशल	24 पैसे	22 पैसे	20 पैसे
कुशल/लिपिकीय	26 पैसे	24 पैसे	22 पैसे
अत्यधिक कुशल	29 पैसे	27 पैसे	24 पैसे

भाग-III

1. इस अधिसूचना के अनुबंध में बताये गये अनुसार 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र में क्रमशः उक्त अनुबंध में ऐसे क्षेत्र के रूप में यथानिर्दिष्ट सभी स्थान शामिल होंगे और नगर निगम अथवा नगरपालिका या छावनी बोर्ड अथवा किन्हीं विशेष स्थानों की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान सम्मिलित होंगे । 'ग' क्षेत्र में वे अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जिनका अनुबंध में उल्लेख नहीं किया गया है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू होता है । वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिए मकान किराया भत्ता के भुगतान के प्रयोजनार्थ समय-समय पर जोड़े गये अथवा अपग्रेड किये गये स्थान को इस प्रस्ताव के प्रारूप के अनुबंध में निर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ हेतु ऐसे परिवर्धन अथवा स्तरोन्नयन (अपग्रेडेशन) की तारीख से जोड़े जाने के रूप में माना जाएगा ।

2. जहां किसी क्षेत्र में इस प्रस्ताव के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें राज्य सरकार द्वारा कृषि संबंधी अनुसूचित नियोजन, जिसके संबंध में यह समुचित सरकार है में कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम हों वहां उच्च दर को इस प्रस्ताव के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी माना जाएगा ।

3. (क) "अकुशल कार्य" का आशय ऐसे कार्य से है जिसमें ऐसे सरल कार्य शामिल हैं जिसके लिए कार्य के संबंध में अत्यल्प अथवा किसी भी कौशल अथवा अनुभव की आवश्यकता नहीं होती ;

(ख) "अर्ध-कुशल कार्य" का आशय ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य के संबंध में कुछ कौशल अथवा अनुभव के द्वारा उपार्जित दक्षता शामिल है और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में करवाये जाने के योग्य हो तथा इसमें अकुशल पर्यवेक्षीय कार्य शामिल है ;

(ग) "कुशल कार्य" का आशय ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव द्वारा अथवा किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से उपार्जित कौशल अथवा दक्षता शामिल है तथा जिसे करने के लिए प्रयास करना एवं निर्णय लेना आवश्यक होता है ;

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" का आशय ऐसे कार्य से है जिसके लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा लम्बी अवधि तक व्यावहारिक कार्य-अनुभव के द्वारा उपार्जित कतिपय कार्यों के निष्पादन में उच्चस्तरीय निपुणता एवं पूर्ण दक्षता आवश्यक होती है तथा जिसके लिए कामगार को इन कार्यों को करने में अंतर्निहित निर्णय अथवा पैसले के लिए पूरा उत्तरदायित्व भी लेना पड़ता है।

4. "न्यूनतम मजदूरी की दरों" में साप्ताहिक अवकाश दिवस की मजदूरी भी शामिल है।
5. न्यूनतम मजदूरी की दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।
6. विकलांग व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर समुचित श्रेणी के स्वस्थ व्यक्ति के समान ही होगी।
7. न्यूनतम मजदूरी की दर और विशेष भत्ता दोनों ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय न्यूनतम मजदूरी की दर की रचना करते हैं।

**अनुबंध
'क' क्षेत्र**

अहमदाबाद	(यू ए)	हैदराबाद	(यू ए)
बंगलौर	(यू ए)	कानपुर	(यू ए)
कलकत्ता	(यू ए)	लखनऊ	(यू ए)
दिल्ली	(यू ए)	मद्रास	(यू ए)
ग्रेटर बम्बई	(यू ए)	नागपुर	(यू ए)

'ख' क्षेत्र

आगरा	(यू ए)	जमशेदपुर	(यू ए)
अजमेर		जोधपुर	
अलीगढ़		कोच्चि	(यू ए)
इलाहाबाद	(यू ए)	कोल्हापुर	(यू ए)
अमरावती		कोझीकोड	(यू ए)
औरंगाबाद	(यू ए)	कोटा	
बरेली	(यू ए)	लुधियाना	
भावनगर		मदुरै	(यू ए)
बीकानेर		मेरठ	(यू ए)
भोपाल		मुरादाबाद	(यू ए)
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू ए)
अमृतसर		नासिक	(यू ए)
चन्डीगढ़	(यू ए)	पूणे	(यू ए)
कोयम्बटूर	(यू ए)	पटना	(यू ए)
कटक	(यू ए)	रायपुर	(यू ए)
दुर्गापुर		राजकोट	
फरीदाबाद कम्प्लैक्स		रांची	(यू ए)
गाजियाबाद	(यू ए)	शोलापुर	(यू ए)
गोरखपुर		श्रीनगर	(यू ए)
गुवाहाटी सिटी		सूरत	(यू ए)
गुन्दूर		तिरुवनन्तापुरम	(यू ए)
ग्वालियर	(यू ए)	वदोदरा	(यू ए)

इन्दौर	(यू ए)	वाराणसी	(यू ए)
हुबली-धारवाड़		विजयवाड़ा	(यू ए)
जबलपुर	(यू ए)	विशाखापत्तनम	(यू ए)
जयपुर	(यू ए)	वारंगल	

'ग' क्षेत्र: वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

एन बी : यू ए शहरी परिसीमा को दर्शाता है।

[फाइल संख्या एस-32017/1/2005-डब्ल्यू सी]

एच. एन. गुप्ता, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2005

S.O. 1520(E).— Whereas the proposal to revise the minimum rates of wages per day per employee payable in the employment in Agriculture was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, of sub-section (ii) dated the 16th June, 2005 as required by clause (b) of sub-section (i) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No.S.O. 850(E) dated 16th June 2005 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby, till the expiry of the period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th June 2005.

AND whereas no objections and suggestions have been received on the said proposals by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 3 read with clause (iii) of Sub-section 1 of section 4 and sub-section (2) section 5 of the aforesaid Act, and in supersession of the Government of India in the Ministry of Labour & employment notification No.S.O.1085 dated 11th November, 1999 relating to revision of minimum rates of wages payable to the employed in the Agriculture, the Central Government as required under the proviso to the said section 5 hereby fixes the minimum rates of wages per day per employees as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees mentioned against them in Column (1) thereof, in the employment in Agriculture.